

5/11/57

1. to work of
work to work to work

9-11-11 ଆମର ମାମୁ 6189 ମାମୁଙ୍କ ମାମୁ
ମାମୁଙ୍କ ମାମୁ ମାମୁ ମାମୁ ମାମୁ

Dua

(i) अनुक्रमिक A-3(xviii) में अधिकृत अधिकारी का Authority letter संलग्न किया गया है परन्तु हाईप्रति में Authority letter संलग्न होना नहीं पाया गया।

जानकारी में निम्न बिन्दुओं की पूर्ति होना नहीं पाया गया है :-

4 इसी प्रकार ऑनलाईन FORM-A के PART-1 में आवेदक संस्थान द्वारा भरी जाने वाली मुख्य वन संरक्षक (वनप्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

3 वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि 443.000 हेक्टेयर में से 186.254 हेक्टेयर वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-262 वनमंडल के प्रचलित कार्य आयोजना के हथी कॉरीडोर में सम्मिलित है। अतः वन क्षेत्र हथी कॉरीडोर में सम्मिलित होने के कारण इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान में समीक्षित होने के कारण इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान द्वारा लेख किया गया है कि प्रपत्र-2 के समस्त कॉलमों की पूर्ति कर उन्हें किया है जो वन मंडल अधिकारी सिंगरौली को संबोधित है एवं इसमें उनके की अनुशंसा नहीं कर इस बिन्दु में अपना पत्र दिनांक 01.10.2016 संलग्न FORM-A के PART-III के अनुक्रमिक 16 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा प्रस्ताव रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

(ii) FORM-A के PART-III में अनुक्रमिक 15 में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण उपलब्ध कराया जाये ताकि उनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा सके। बिना अनुशंसा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने का क्या औचित्य है? द्वारा लेख किया गया है कि प्रपत्र-2 के समस्त कॉलमों की पूर्ति कर उन्हें किया है जो वन मंडल अधिकारी सिंगरौली को संबोधित है एवं इसमें उनके की अनुशंसा नहीं कर इस बिन्दु में अपना पत्र दिनांक 01.10.2016 संलग्न FORM-A के PART-III के अनुक्रमिक 16 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा प्रस्ताव रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

(ii) FORM-A के PART-III में अनुक्रमिक 15 में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण ऑनलाईन फार्म में भरी जाना नहीं पाई गई है:-

2 FORM-A के PART-III में निम्न अनुक्रमिकों की पूर्ति मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा भरी गई है। हाईप्रति में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

(ii) अनुक्रमिक 13(ii) में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की Patchwise Details नहीं द्वारा ऑनलाईन फार्म में भरी जाना नहीं पाई गई है:-

1 FORM-A के PART-II में निम्न अनुक्रमिकों की पूर्ति वन मंडल अधिकारी सिंगरौली किये गये अभिलेख भिन्न-भिन्न है।

करने पर ऑनलाईन में अपलोड किये गये अभिलेख एवं हाईप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/13685/2015 एवं संदर्भित पत्र से प्राप्त हाईप्रति का परीक्षण विधायक उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./6341 दिनांक 07/10/2016

लिमिटेड।

में उपरितल कोयला खनिज उत्खनन अपवर्दन का प्रस्ताव-नार्दन कोल फील्ड्स 24.809 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन/राजस्व वन भूमि की रकबा 443.000 हेक्टेयर वन भूमि एवं ग्राम मेंढौली के विभिन्न खसरा की विषय-रीवा वृत्त अन्तर्गत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बँदन के वनखण्ड दृष्टिपूर्वा मध्यप्रदेश।

रीवा वृत्त रीवा,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),

प्रति,

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/13685/2015 2317 भोपाल, दिनांक 28-10-16

- (ii) FORM-A के PART-1 में आवेदक संस्थान द्वारा ऑनलाइन फार्म में अनुक्रमिक C-(iii)(a) में पंच वाईज KML फाईल खुल नहीं रही है। हाई प्रति में KML फाईल सी.डी. में संग्रहित की गई है।
- (iii) FORM-A के PART-1 में आवेदक संस्थान द्वारा अनुक्रमिक C-(iv) में ऑनलाइन में जी.पी.एस. शीटिंग सहित जियो रिफरेंस मानचित्र दिया गया है, परन्तु हाई प्रति में संग्रहित नहीं किया गया है।
- (iv) ऑनलाइन FORM-A के PART-1 में अनुक्रमिक K(i)(a) में अनुजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर जिला सिंगरौली का दिया गया प्रमाण पत्र ऑनलाइन में एवं हाईप्रति में भिन्न-भिन्न है। कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र दिनांक 15/08/2016 में संग्रहित दृश्य अभिलेख हाईप्रति में संग्रहित नहीं है।
- (v) FORM-A के PART-1 में आवेदक संस्थान द्वारा अनुक्रमिक M-2(iv) में माईनिंग प्लान एवं हाईप्रति में पूर्ण अनुमोदित माईनिंग प्लान संग्रहित होना नहीं पाया गया।
- (vi) अनुक्रमिक M-2(vi) में आवेदित स्थल के जी.पी.एस. सहित शीटिंग का 1:4000 स्केल का मानचित्र हाईप्रति में संग्रहित नहीं किया गया है। ऑनलाइन फार्म में भी संग्रहित मानचित्र में जी.पी.एस. शीटिंग नहीं दी गई है।
- (vii) ऑनलाइन FORM-A के PART-1 में अनुक्रमिक M-3(ii) में पूर्वक्षण कार्य की अनुमति के अभिलेख दिये गये हैं परन्तु हाई प्रति में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (viii) प्रस्ताव की हाई प्रति ऑनलाइन FORM-A के PART-1 एवं PART-II में अंकित अभिलेखों को कमबद्ध तरीके से संग्रहित होना नहीं पाया। हाई प्रति पुरानी प्रक्रिया के भाग-1 एवं भाग-2 संग्रहित करके उसके अभिलेख लगाये गये हैं। जबकि वर्तमान में PART-I, PART-II एवं PART-III के बिन्दुओं के अनुसार हाईप्रति में संग्रहित किये जाने चाहिये, जो नहीं है।

अतः संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः संलग्न वापस कर लेख है कि उपरोक्त कम्पिया एवं अन्य कोई कम्पि परीक्षणित होती है तो उसकी भी पूर्ति कर पूर्ण एकजोड़ प्रस्ताव ऑनलाइन एवं हाईप्रति (तीन प्रतियाँ में) अपनी अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(एस.के.मण्डल)
21/01/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/732/2014/10-11/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, सिंगरौली, जिला-सिंगरौली म.प्र.
2. महाप्रबंधक, नांदन कोल फील्ड्स लिमिटेड, दुधीचुआ परियोजना पोस्ट-खडिया जिला-सोनभद्र उ.प्र.

की और आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत।

(एस.के.मण्डल)
21/01/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल